

कार्यालय

जिलाधिकारी

बुलन्दशहर।

पत्रांक: 54 / न्याय सहायक / कोरोना वायरस / 2021

दिनांक: 06.01.2021

मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

बुलन्दशहर।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 21.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत न्यायालय परिसर, बुलन्दशहर में न्यायिक कार्य प्रारम्भ होना अवगत कराते हुए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नित्य प्रतिदिन 3.00 बजे कोविड-19 के थ्रेट लेविल की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि गृह(गोपन), अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के कार्यालय के पत्र संख्या 2360/2020-सी0एक्स-3 दिनांक 26 नवम्बर, 2020 के द्वारा कन्टैनमेंट जोन की सोमा/परिधि निम्नवत निर्धारित करते हुये गृह (गोपन), अनुभाग-3 उ0प्र0शासन, लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या 2127/2020-सी0एक्स-3 दिनांक 03.10.2020 इस सीमा तक ही संशोधित किया गया है। शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

- (1) कोरोना पॉजिटिव का सिंगल केस पाये जाने पर 50 मीटर की परिधि में कन्टैनमेंट जोन होगा।
- (2) एक से अधिक केस पाये जाने पर, कलस्टर की स्थिति में, कन्टैनमेंट जोन का दायरा 100 मीटर की परिधि का होगा।
- (3) यदि एक ही आवास में एक से अधिक सक्रिय केस पाये जाये तो उस दशा में उसे सिंगल केस मानकर ही कन्टैनमेंट

जोन निर्धारित किया जाये।

गृह (गोपन), अनुभाग-3 के आदेश संख्या 2358/2020/सीएक्स-3 दिनांक 30 नवम्बर, 2020 के अनुसार कन्टैनमेंट जोन के अन्दर निम्न कार्यवाहियाँ अनिवार्यतः की जाए-

- (a) केवल अति आवश्यक गतिविधियाँ ही अनुमन्य की जाए।
- (b) कन्टैनमेंट जोन के भीतर एवं बाहर चिकित्सकीय आपातकालीन पुविधाओं तथा आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के आवागमन को नियंत्रित करने हेतु सख्त मानक अपनाये जाए।
- (c) इस उद्देश्य हेतु गठित सर्विलान्स टीम द्वारा प्रत्येक मकान (House to house) की सघन निगरानी की जाय।
- (d) निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड-19 की टैस्टिंग की जाए।
- (e) कोविड-19 पॉजिटिव पाये गये व्यक्तियों के सम्पर्क में आए सभी व्यक्तियों की सूची (कान्टैक्ट ट्रेसिंग) तैयार की जाए तथा इनके चिन्हाकन, ट्रेसिंग, क्वारेन्टाईन तथा 14 दिनों तक निरन्तर अनुश्रवण की कार्यवाही की जानी चाहिये (यथा सम्भव पॉजिटिव पाये जाने के 72 घण्टे की भीतर ही 80 प्रतिशत सम्पर्क चिन्हित कर लिये जाए)।
- (f) कोविड-19 मरीजों को तत्काल आईसोलेशन (यदि वो होम आईसोलेशन की शर्तें पूर्ण करते हैं तो होम आईसोलेशन) करते हुये चिकित्सकीय उपचार प्रारम्भ कर दिया जाए।
- (g) आवश्यकतानुसार हॉस्पिटल में भर्ती कर उपचार किया जाए तथा उपचार की शतत निगरानी रखी जाए।
- (h) आई0एल0आई /एस0ए0आर0आई0 के प्रकरण में निरन्तर निगरानी रखते हुये स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाए। बफर जोन में फीवर क्लीनिक अथवा मौबाईल चिकित्सा यूनिट को सक्रीय किये जाने पर विचार किया जाए।
- (I) कोविड-19 से संबंधित अनुमन्य गतिविधियों (आचरण) (Appropriate behaviour) के विषय में आम समुदाय को निरन्तर जागरूक किया जाए।

प्रभारी निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, बुलन्दशहर द्वारा अपनी आख्या पत्रांक-एल.आई.यू./सी-34/2021 दिनांक 06.01.2021 में अवगत कराया गया है कि "प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण फैलने के कारण लागू लॉकडाउन को विगत काफी समय से खोला जा चुका है। यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। परन्तु अभी भी बस स्टैंडों, सब्जी मंडियों, साप्ताहिक बाजारों व स्थानीय बाजारों में कुछ व्यक्तियों द्वारा मास्क न लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किये जाने आदि के कारण संक्रमण फैलने की सम्भावना बनी रहती है।"

महोदय को यह भी अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर में 62 हॉट स्पॉट चिन्हित कर सील किये गये हैं, जिनमें 18-आवास विकास प्रथम (एच0एफ0एस/एस0एफ0एच0) नगरीय क्षेत्र, बुलन्दशहर, मौ0 इन्दिरा नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, नया गाव चांदपुर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, रामा एन्क्लेव, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, गिरधारी नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 साठा, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 सूर्या नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, शास्त्री नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 राधा नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर डी0 ब्लॉक यमुनापुरम, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, सिविल लाईन, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, देवीपुरा द्वितीय, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर डी-85 गंगानगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 शिवपुरी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 प्रेमनगर, नगरीय क्षेत्र, बुलन्दशहर, मौ0 शक्ति नगर सिविल लाईन, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 नजीमपुरा भूड, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, लल्ला बाबू रोड, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर बने हैं। इसके अतिरिक्त जनपद बुलन्दशहर में 44 हॉटस्पॉट-एन0ए0पी0एस0 टाउनशिप नगरीय क्षेत्र नरौरा, तहसील डिबाई, सीआईएसएफ कालोनी नगरीय क्षेत्र नरौरा, तहसील डिबाई, मौ0 जाटवान, कस्बा व वि0ख0 बी0वी0नगर, तहसील स्याना, ग्राम धीमही, वि0ख0 दानपुर तहसील

डाई, ग्राम बराल, वि०ख० गुलावटी, तहसील बुलन्दशहर, मौ० शिवपुरी, नगरीय क्षेत्र स्याना, ग्राम बुढ़ाना, वि०ख० लखावटी, तहसील बुलन्दशहर, ग्राम लखावटी, वि०ख० लखावटी, तहसील बुलन्दशहर, मौ० हीरा कालोनी, नगरीय क्षेत्र सिकन्द्राबाद, ग्राम पिलखनी, वि०ख० ऊँचागांव, तहसील स्याना, मौ० मण्डी हरदेव, नगरीय क्षेत्र डिबाई, मौ० खत्रीवाड़ा, नगरीय क्षेत्र सिकन्द्राबाद, ग्राम शालाबाद, वि०ख० पहासू, तहसील शिकारपुर, आदर्श नगर, पट्टी हजारी कस्बा वि०ख० व तहसील स्याना, विकास नगर, करबा वि०ख० व तहसील स्याना, लुधपुरा, वि०ख० बी०बी०नगर व तहसील स्याना, ग्राम सटला, वि०ख० बी०बी०नगर तहसील स्याना, ग्राम खनपुरा, वि०ख० जहाँगीराबाद, तहसील अनूपशहर, ग्राम तलवार, वि०ख० व तहसील डिबाई, ग्राम ईसापुर, वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम सबदलपुर, वि०ख० दानपुर, तहसील डिबाई, टीचर्स कालोनी, कस्बा औरंगाबाद, तहसील बुलन्दशहर, मौ० गांधी गंज, नगरीय क्षेत्र गुलावटी, तहसील बुलन्दशहर, ग्राम सैदमपुर, वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम शेखपुर माम, वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम जोखाबाद, वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम फजलपुर, वि०ख० पहासू, तहसील शिकारपुर, ग्राम बरासऊ, वि०ख० व तहसील शिकारपुर, ग्राम ढकरीली, वि०ख० जहाँगीराबाद, तहसील स्याना, ग्राम अकबरपुर, वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम फतहपुर मकरन्दपुर थाना ककोड वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, गली नं०-1, चन्द्रलोक कालोनी, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम सलेमपुर कायस्थ, वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम असावर, वि०ख० बी०बी०नगर, तहसील बुलन्दशहर, मौ० नई बस्ती, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम भौरा, वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम बुटैना, वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम ढकौली, वि०ख० अगौता, तहसील बुलन्दशहर, मौ० करम-धरम नरौरा, तहसील डिबाई, ग्राम जुनैदपुर, वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम शिवाली, वि०ख० लखावटी, तहसील बुलन्दशहर, ग्राम अट्टा, वि०ख० बी०बी०नगर, तहसील बुलन्दशहर, ग्राम बामनी, वि०ख० दानपुर, तहसील डिबाई, ग्राम उदयगढ़ी, वि०ख० व तहसील डिबाई, ग्राम हिम्मतगढ़ी, वि०ख० दानपुर, तहसील डिबाई, ग्राम अनीवास, वि०ख० व तहसील अनूपशहर बने हैं, जिनमें पाये गये पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या संलग्न कर सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

आज दिनांक 06.01.2021 तक जनपद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या-6053 है, 868 व्यक्ति होम क्वारेन्टाईन में है। जनपद में 92 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है।

उपरोक्त परिस्थितियों में यदि वादकारियों के रूप में काफी लोग न्यायालय में पहुँचेंगे तो माननीय न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण में सक्रमण होने की सम्भावना बढ़ सकती है। आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक: यथोक्त

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,
बुलन्दशहर।

अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,
बुलन्दशहर।

राष्ट्रीय अधिवृत्त संघ
दुर्गा-२०२१
दिनांक २०/११/२१

प्रश्न (संविधान के अनुच्छेद ३०)

उत्तर: **दुर्गा-२०२१**

अनुच्छेद ३० के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जातियों के लोगों को अपने-अपने धर्म के आधार पर शिक्षा देना संभव है। यह धर्म के आधार पर शिक्षा को संभव करता है। अतः अनुच्छेद ३० के अन्तर्गत शिक्षा को धर्म के आधार पर देना संभव है। यह धर्म के आधार पर शिक्षा को संभव करता है। अतः अनुच्छेद ३० के अन्तर्गत शिक्षा को धर्म के आधार पर देना संभव है।

अतः अनुच्छेद ३० के अन्तर्गत शिक्षा को धर्म के आधार पर देना संभव है। अतः अनुच्छेद ३० के अन्तर्गत शिक्षा को धर्म के आधार पर देना संभव है। अतः अनुच्छेद ३० के अन्तर्गत शिक्षा को धर्म के आधार पर देना संभव है।

राष्ट्रीय अधिवृत्त संघ
दुर्गा-२०२१